SUMMARY TRAIL UNDER SECTION 253 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE,12

1898

IN THE COURT OF samjulata dewangan, **JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS, CHHUIKHADAN, DIST. RAJNANDGAON(C.G.)**

Case No.739/2022 Complaint or report made on 12-11-2022 Name and address of the complain- **PS- Mohgaon Crim.No. 73/22, Dist. Rajnandgaon(C.G.)**

Name, Parentage, Caste and address of accused

आरोपी–आशीष रजक पिता–रामलाल रजक, उम्र–36 साल

साकिन–साल्हेवारा, थाना–साल्हेवारा, जिला–के.सी.जी. (छ.ग.)

The office complained of, and date of, its alleged commission -

(1) यह कि, आपने दिनांक 12.11.2022 को समय 07.28 बजे या उसके लगभग अपने थाना मोहगांव क्षेत्रांतर्गत स्थान मोहगांव में थाना के सामने मेन रोड जो कि लोकमार्ग है, में अपनी वाहन सी.जी. 09 जे एम 8339 मौके पर बिना कागजात के वाहन लोकमार्ग में चलाया।

और इसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो कि **मोटरयान अधिनियम की धारा 130/177** के तहत दण्डनीय है और इस न्यायालय के संज्ञान के अधीन है।

क्या आपको अपराध स्वीकार है, या प्रतिरक्षा चाहते हो ?

(sanjulata dewangan)
Judicial Magistrate First Class
Chhuikhadan, Rajnandgaon (C.G.)

The plea of accused and his examination (if any)

(sanjulata dewangan)
Judicial Magistrate First Class
Chhuikhadan, Rajnandgaon (C.G.)

The office proved, if any, and in care under clause (d), clause (e), clause (f) of clause (g) or subsection (i) of section 260, the value of the property in respect of which the offence has been committed.

–:: निर्णय ::–

(आज दिनांक 12/11/2022 को घोषित)

प्रकरण नेशनल लोकअदालत में निराकृत

01– आरोपी को धारा 130/177 मो.या. अधि. के तहत् अपराध की विशिष्टियां बताये जाने पर आरोपी ने स्वेच्छा अपराध स्वीकार किया है, आरोपी की वास्तविक इच्छा जानने के लिए उक्त धारा में प्रावधानित वास्तविक दंड से आरोपी को अवगत करा कर पूछा गया फिर भी आरोपी ने स्वेच्छया अपराध करना स्वीकार किया जिससे आरोपी द्व ारा स्वेच्छया अपराध करना स्वीकार किया जाना प्रतीत होता है जिससे आरोपी के स्वेच्छया अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर प्रकरण में आगामी कार्यवाही किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है। अतः आरोपी की स्वेच्छा अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 130/177 मो.या. अधि. के आरोप में आरोपी को दोषसिद्ध किया जाता है।

02– प्रकरण की परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं अभियुक्त के कृत्य को देखते हुये उसे आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 व 4 के अधीन उपबन्धित प्रावधानों का लाभ दिया जाना इस न्यायालय के मत में उचित प्रतीत नहीं होता है।

03– अभियुक्त को उसकी स्वेच्छा अपराध स्वीकारोक्ति एवं पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर नहीं होना देखते हुए मात्र अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने से न्याय की मंशा पूरी होगी। अतः अभियुक्त को **धारा 130/177 मो.या. अधि. के आरोप में रू. 100/–रू. (अक्षरी–सौ रूपये मात्र) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।** अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 02 दिन कुल 02 दिन का सश्रम कारावास भुगताया जाये।

04– प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

(Sanjulata Dewangan)
Judicial Magistrate First Class
Chhuikhadan, Rajnandgaon (C.G.)

SANJULATA DEWANGAN
Digitally signed by SANJULATA DEWANGAN
Date: 2022.11.17 11:17:56 +0000